न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 00020/2020 **दायरा दिनांक : 09.01.2019**

उनवान

धनकंवर देवी पत्नी रमेश कुमार करन, आयु 50 वर्ष पुत्री गणपत, जाति कंडारा, निवासी हर्ष पेराडाइज स्कूल के पीछे इंजीनियरिंग कालेज कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1– मांगीलाल आयु 60 वर्ष पुत्र गणपत, जाति कंडारा, निवासी सुन्दलक हाल निवासी मकान नम्बर 10/162 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

2– जगदीश नाटला आयु 58 साल पुत्र गणपत, जाति कंडारा, निवासी सुन्दलक हाल निवासी मकान नम्बर 10/162 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

3– हेमराज आयु 48 साल पुत्र पुत्र गणपत, जाति कंडारा, निवासी सुन्दलक हाल निवासी मकान नम्बर 2077 कृष्णा नगर, रंगबाडी, कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

4– तुलसाबाई पत्नी सुरेन्द्र पुत्री गणपत, जाति कंडारा, निवासी रामदेवजी के मन्दिर के पीछे उर्मिला स्कूल के पास, बापू कालोनी कुन्हाडी, कोटा

5– प्रवीण पुत्र शिवपाल, जाति कंडारा, निवासी सुन्दलक तहसील बारां जिला बारां

6– मनोज पुत्र शिवपाल, जाति कंडारा, निवासी सुन्दलक तहसील बारां जिला बारां

7– संगीता पुत्री शिवपाल, जाति कंडारा, निवासी सुन्दलक तहसील बारां जिला बारां

8– मोहनीदेवी पत्नी शिवपाल, जाति कंडारा, निवासी सुन्दलक तहसील बारां जिला बारां

9– मोहन सिंह पुत्र श्रीमती भंवरीदेवी पुत्री गणपत, जाति कंडारा, निवासी तलवन्डी कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

10– सुरेन्द्र पुत्र श्रीमती भंवरीदेवी पुत्री गणपत, जाति कंडारा, निवासी तलवन्डी कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

11– नरेन्द्र पुत्र श्रीमती भंवरीदेवी पुत्री गणपत, जाति कंडारा, निवासी तलवन्डी कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

12– परमानन्द पुत्र चतरा, आयु 56 वर्ष, जाति कंडारा, निवासी खेडली फाटक कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

13– मदनलाल पुत्र चतरा, आयु 50 वर्ष, जाति कंडारा, निवासी खेडली फाटक कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

14– सूरजमल पुत्र चतरा, जाति कंडारा, निवासी खेडली फाटक कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकामान :–

14/1– शकून पत्नी सूरजमल, जाति कंडारा, निवासी खेडली फाटक कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

14/2– दीपक पुत्र सूरजमल, जाति कंडारा, निवासी खेडली फाटक कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

15– गिर्राज पुत्र चतरा, आयु 46 वर्ष, जाति कंडारा, निवासी सुन्दलक, तहसील बारां, जिला बारां

16– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री नरेन्द्र व्यास अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 09.02.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 21/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2013 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम राजपुरा, तहसील बारां, जिला बारां में आराजी खसरा नम्बर 523 रकबा 1.34 हेक्टर, खसरा नम्बर 646 रकबा 0.83 हेक्टर कुल दो किता की 2.17 हेक्टर आराजी स्थित है । उक्त आराजी वर्तमान में मांगीलाल,

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

जगदीश, हेमराज पुत्र गणपत हिस्सा 3/8 एवं मृतक पुत्र शिवपाल, प्रवीण, मनोज पुत्र संगीता पुत्री, मोहनी देवी बेवा शिवपाल हिस्सा 1/8 का नाम नामान्तरकरण संख्या 834 दिनांक 02.02.2013 को नामान्तरकरण से दर्ज करने का आदेश हुआ एवं दिनांक 20.09.2013 को नामान्तरकरण संख्या 443 से खसरा नम्बर 523रकबा 1.34 हेक्टर पर गिर्राज, सूरजमल, परमानन्द, मदनलाल पुत्र चतरा, जाति कण्डारा, निवासी सुन्दलक के नाम दर्ज करने का आदेश हुआ व खसरा नम्बर 646 रकबा 0.83 हेक्टर भूमि पर मांगीलाल, जगदीश, हेमराज, पुत्र गणपत प्रवीण, मनोज पुत्र, संगीता पुत्री, मोहनीबाई बेवा, शिवपाल सिंह, जाति कण्डारा, निवासी सुन्दलक के नाम दर्ज करने का आदेश हुआ । उपरोक्त आदेश दिनांक 20.06.2013 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से बंटवारे की डिक्री से अपने नाम खातेदारी में अंकित करवा ली है । वादग्रस्त आराजी अमराजी व चतरा जी दोनों भाइयों की संयुक्त खातेदारी की पैत्रृक आराजी है । वादिया अपीलांट मृतक गणपत की पुत्री व अमरा की पौत्री है तथा अपीलांटा का उक्त वर्णित आराजियात में गणपत की मृत्यु उपरान्त विरासतन हक हकूक पैदा हो गया है तथा उसे प्राप्त करने की कानूनन अधिकारी है । प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट ने षडयन्त्रपूर्वक राजस्व अधिकारियों से सांठ गांठ कर गणपत के वारिसान में अपीलांट का नाम हटवाकर आपस में मिलकर गैर कानूनी तरीके से दिनांक 20.06.2013 को निर्णय प्राप्त कर लिया है जो कतई गैर कानूनी होने से नल एण्ड वोईड होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी रेस्पोडेंट ने अपीलांट वादिया को पक्षकार बनाये बिना दावा करके गैर कानूनी तरीके से अपीलांट को अपने हक हकूकों से वंचित कर दिया है तथा अपने अधिकारों की घोषणा कराने हेतु अपीलांट को उक्त अपील में आवश्यक पक्षकार अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी के तहत बनाये जाने की अनुमति प्रदान कर उक्त अपील को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2013 अपास्त की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 21.10.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

(मनोज लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अमरा व चतरा दो भाइयों की है । वारिसान तीन लडकियों का नाम छुपाते हुए आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर वाद डिक्री करवा लिया । अधीनस्थ न्यायालय सभी को पक्षकार बनाकर प्रकरण में नये सिरे से बंटवारा करें । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार एवं उभयपक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार निर्णय पारित किया है । अपीलांट द्वारा प्रकरण में मृतक गणपत की पुत्री बताया गया है । इस सम्बन्ध में उन्होंने आयकर विभाग के पैनकार्ड की फोटोप्रति प्रस्तुत की है, जिसमें धनकंवर एवं गणपत लाल का नाम अंकित है । इससे यह स्पष्ट होता है कि धनकंवर गणपत लाल की पुत्री प्रतीत होती है जबकि उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पिता की सम्पत्ति में पुत्र एवं पुत्रियों का समान अधिकार प्राप्त होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित समझते हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2013 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान कर प्रकरण में समस्त वारिसान की जांच करके विधि

(लोकेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजीव गांधी ग्रामीण
कोटा (राज.)

सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.05.2021 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा